



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13442

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1613/2026

आवेदक: अभिषेक सोनी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील:

दिनेन्द्र कुमार, विकास कुमार ओझा

प्रतिवादी के वकील:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक के वकील श्री दिनेन्द्र कुमार तथा राज्य के न्यायालय अधिवक्ता श्री आर.पी. पटेल को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अपराध संख्या 285/2025, धारा 103(1), 61(2) बी.एन.एस. एवं 4/25 शस्त्र अधिनियम, पुलिस थाना - कर्चना, जिला - प्रयागराज में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के वकील ने कहा कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। एफआईआर में लगभग पाँच घंटे की देरी है और इस देरी की कोई व्याख्या नहीं दी गई है।
5. वकील ने आगे कहा कि आवेदक को कोई प्रेरणा (मोटिव) नहीं दी गई है। यदि कोई प्रेरणा थी, तो वह सह-आरोपी अभय कुमार पाठक द्वारा निभाई गई थी, जो अपराध का मुख्य कर्ता बताया गया है और मृतक को अपने पास रखे चाकू से घायल किया। आवेदक अवैध सभा का सदस्य था। अतः आवेदक की भूमिका उक्त सह-आरोपी की तुलना में भिन्न है।
6. वकील ने यह भी कहा कि एफआईआर में आवेदक का नाम अशुतोष सोनी गलत रूप से लिखा गया है, जबकि उसका वास्तविक नाम अभिषेक सोनी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 12.9.2025 से जेल में बंद है और वह सुनवाई में सहयोग के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. राज्य के न्यायालय अधिवक्ता ने जमानत के कड़े विरोध किया।
8. "अपराध सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाएगा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत की अवधारणा को नियम और जेल को अपवाद के रूप में जन्म देता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता कि व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, जब तक कि अपराध सिद्ध न हो। अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी की जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पालन से ही छीनी जा सकती है, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने *Satender Kumar Antil बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य*, (2022) 10 SCC 51 में पुनः रेखांकित किया है।
10. इसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने *मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय*, 2024 INSC 595 में पुनः स्पष्ट किया कि जमानत को दंड के रूप में रोके रखना कानून का स्थापित सिद्धांत नहीं है। न्यायालयों को यह मान्यता देनी चाहिए कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"
11. न्यायालय अधिवक्ता/राज्य विधिक अधिकारी ने जमानत अस्वीकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की।
12. मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें, अभिलेख, एफआईआर में देरी और मृतक पर चाकू से हमला करने का जिम्मा सह-आरोपी अभय कुमार पाठक को सौंपा गया होना, तथा आवेदक पर कोई प्रेरणा न होना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, बिना मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय यह मानता है कि आवेदक ने जमानत का आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
13. आवेदक - अभिषेक सोनी, जो उक्त अपराध में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। बांड स्वीकार करने से पूर्व जमानतियों की पहचान सत्यापित की जाए।

- (i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।